बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

24 मार्च, 2021

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 28

अनुग्रह अनुदान की राशि

***253 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती सुलेखा देवी, पति- श्री अशोक सदाय, ग्राम- करहारा, वार्ड नम्बर- 14, पत्रालय- चुनी भाया+प्रखण्ड– मधेपुर, थाना- भेजा, जिला- मधुबनी की ढ़ाई साल की पुत्री- अंजली कुमारी की बाढ़ के समय दिनांक- 31.07.2020 को नदी में डूब कर मृत्यु हो गई, जिस संबंध में कांड संख्या- 04/2020, दिनांक- 31.07.2020 अंकित की गई;

(ख) क्या यह सही है कि अनुमंडल कार्यालय, झंझारपुर का पत्रांक- 664, दिनांक- 15.12.2020 के द्वारा, संबंधित अभिलेख जिला आपदा कार्यालय, मधुबनी को प्रेषित कर दिया गया है, किन्तु इस संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय प्रावधानों के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

अन्यत्र स्थापित कबतक

*441 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य की राजधानी पटना की घनी आबादी के बीचों-बीच दर्जनों गैस गोदाम संचालित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि ये सभी गैस गोदाम सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं, जिस कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने के कारण बड़े पैमाने पर जान-माल की क्षति हो सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र इन गैस गोदामों को शहर के बाहर अन्यत्र स्थापित करवाना चाहती है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके ?

पर्यटन का विकास

*442 **श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत मंझौल अनुमंडल स्थित विश्व प्रसिद्ध कावर झील अपने निर्मल अथाह जल, देशी-विदेशी पक्षियों, मछलियों एवं ठीक मध्य में विशाल टीले पर स्थित शक्तिपीठ माता जयमंगला का प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक विशाल स्तूपों आदि के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है;

(ख) क्या यह सही है कि कावर झील के रामसर साईट में शामिल हो जाने से यह विश्व स्तर पर पक्षी आश्रयणी स्थल के रूप में सुप्रसिद्ध हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि कावर झील एवं माता जयमंगला के मंदिर के कारण यहां पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना का विकास किया जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नगत स्थल पर पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण कब तक

*443 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला अन्तर्गत नरहट अंचल के मीनापुर-हाजी ढाब पथ में ग्राम दुलम बिगहा में सड़क भूमि को अतिक्रमित किये जाने के फलस्वरूप इस सड़क पर बड़े वाहनों का परिचालन अवरुद्ध हो गया है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

प्रोन्नति कब तक

***444 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पिछले दो साल में देय प्रोन्नति पाये बिना राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा रैंक के 100 पदाधिकारी तथा 150 अन्य सचिवालय स्तर के कर्मी सेवानिवृत्त हो गये हैं, जिसके कारण भारी संख्या में प्रोन्नति से भरे जाने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा रैंक तथा प्रशाखा पदाधिकारी रैंक के पद खाली हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रोन्नति की प्रक्रिया को ठप करने से राज्य में विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों में काम करने की मानसिकता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रोन्नति की प्रक्रिया को चालू कर इसका लाभ राज्य के सेवाकर्मी को देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

मछुआ वर्ग की वैद्यानिक

***445 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार मत्स्य जलकर प्रावधान अधिनियम, 2006 की धारा- 2 (iii) में परम्परागत रूप से मत्स्यपालन/शिकारमाही करने वाले व्यक्ति को "मछुआ" के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रान्त में निवासी मल्लाह, बिन्द, नोनिया वर्ग के लोग मत्स्यपालन/शिकारमाही को परम्परागत रूप से करते हैं जिनकी दशा समाज में दयनीय है और इन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि परम्परागत मछुआ वर्ग की वैधानिक सूची जारी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड;क का पक्कीकरण

***446 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत संपतचक प्रखंड के नव अधिसूचित नगर परिषद् क्षेत्र के ग्राम कामताचक स्थित शेमफोर्ड स्कूल के सामने पश्चिम जाने वाली सड़क में बसावटों का निर्माण तेज गति से हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि कच्ची सड़क रहने के कारण स्थानीय बसावट निवासियों को बरसात के दिनों में मुख्य सड़क पर आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर खंड 'क' में वर्णित सड़क का पक्कीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

बराबर मानदेय

***447 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बी.पी.एस.एम. द्वारा नियोजित आईटी प्रबंधकों एवं कार्यपालक सहायकों को उनके पांच वर्षों के सफल कार्यावधि पूर्ण होने के उपरांत जुलाई 2018 से उनके मानदेय में बढोतरी करते हुए वर्ग- 2 का लाभ दिया गया है जबकि 5 वर्षों के सफल कार्यावधि पूर्ण कर चुके आई.टी. सहायकों को इससे वंचित रखा गया;

(ख) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासी परिषद् के 24 वीं बैठक

के कार्यावली- 05 में निर्णय लिया गया था कि बेल्ट्रान के माध्यम से समकक्ष योग्यता वाले कर्मियों के मानदेय संरचना से समीक्षा कर अगली बैठक में रखा जाए;

(ग) क्या यह सही है कि बी.पी.एस.एम. के पत्रांक- 2046, दिनांक- 18.11.2019 द्वारा बेल्ट्रान से आई.टी. सहायक के समकक्ष योग्यता वाले कर्मियों के मानदेय संरचना की मांग की गयी थी;

(घ) क्या यह सही है कि बेल्ट्रान के पत्रांक- MP-834/19, दिनांक- 27.11.19 द्वारा आई.टी. सहायक के समकक्ष योग्यता वाले प्रोग्रामर का मानदेय संरचना बी.पी.एस.एम. को उपलब्ध कराया गया है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 5 वर्षों के सफल कार्यावधि पूर्ण कर चुके आई.टी. सहायकों को जुलाई 2018 से वर्ग- 2 का निर्धारण कर प्रोग्रामर के बराबर मानदेय देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

***448 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन रोड में अवस्थित न्यू मिल्लत कॉलोनी (सेक्टर- 2) की सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रश्नगत कॉलोनी में बरसात के दिनों में होने वाले जल-जमाव की गंभीर समस्या के निदान हेतु निर्माणाधीन नाला के कार्यों से भी यह सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नगत सड़क के निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

केंद्रीय सहकारिता बैंक

***449 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक ने मधेपुरा

और सहरसा जिले के किसानों के हित में केंद्रीय सहकारिता बैंक की शाखाएं खोलने की सहमति दी है?

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसके आलोक में क्या सरकार बताएगी कि राज्य के किन-किन जिलों में केंद्रीय सहकारिता बैंक की शाखाएं संप्रति स्थापित हैं तथा शेष जिलों में भी राज्य सरकार नाबार्ड के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्ताव भेजकर केंद्रीय सहकारिता बैंक की शाखाएं खोलने का विचार रखती है ताकि राज्य के किसानों को सुविधा मिल सके ?

पर्चा मुहैया

***450 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत गंगा नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों को भिन्न-भिन्न मौजा में भूमि अर्जित कर वसोवासित कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वसोवासित विस्थापित परिवार पर्चा (वैध राजस्व कागजात) नहीं दिए जाने से सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं;

(ग) क्या सरकार अभियान चलाकर अर्जित भूमि पर वसोवासित परिवारों को पर्चा मुहैया कराने का विचार रखती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अर्जित भूमि पर वसोवासित परिवारों को पर्चा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्युत शवदाह गृह

***451 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सात निश्चय पार्ट 2 के तहत सभी निकायों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम और राज्य के सभी नगर निकायों, नगर निगम में विद्युत शवदाह गृह बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि अभीतक राज्य में कितने विद्युत शवदाह गृह बने हैं और कितने चालू स्थिति में और कितने बंद हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी निकायों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और राज्य के सभी नगर निकायों में विद्युत शवदाह गृह बनाना चाहती है?

अतिक्रमण से मुक्त

*452 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला मुख्यालय मुहल्ला-छोटा तेलया, वार्ड नं-40 सदर अंचल, छपरा में अग्रणी अपार्टमेंट के अगला भाग से श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह के मकान तक जाने वाली सड़क में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर सीढ़ी और चहारदीवारी का अवैध निर्माण कर आम रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सार्वजनिक हित में क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित रास्ता को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विश्रामालय का निर्माण

*453 **सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया घाट उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार है, यहां गंगा किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्त सालोंभर आते हैं, विगत वर्ष यहां अर्द्ध कुम्भ का आयोजन भी हो चुका है, प्रतिवर्ष यहां कार्तिक मास में कल्पवास का मेला भी लगता है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रद्धालुओं एवं भक्तों के स्नान के लिए घाट का अभाव है एवं उनके विश्राम हेतु विश्रामालय की समुचित व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमरिया घाट पर गंगा किनारे स्नान घाट एवं श्रद्धालु भक्तों के रात्रि विश्राम हेतु विश्रामालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण

***454 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना के वार्ड संख्या- 12 अंतर्गत अंबेदकर चौक से चितकोहरा मस्जिद होते हुए मुख्य सड़क तक पी.सी.सी ढलाई एवं भूगर्भ नाला निर्माण हेतु 93,34,100 रुपये की निविदा संख्या- 10/E/NCD/19 आमंत्रित की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत इस कार्य का ऐग्रीमेंट एवं वर्क आर्डर भी हो चुका था, परंतु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि यह आने-जाने का मुख्य मार्ग है तथा इसी से होकर वार्ड संख्या- 10 से 13 तक के सभी स्थानीय लोग आते-जाते हैं और नाला एवं सड़क नहीं बनने के कारण कठिनाई महसूस कर रहे हैं तथा यह नाला एवं सड़क अभी नरक बनी हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंबेदकर चौक से चितकोहरा मस्जिद होते हुए मुख्य सड़क तक पी.सी.सी ढलाई एवं भूगर्भ नाला का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

***455 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि अररिया जिले के ग्राम जय नगर में स्थित सार्वजनिक तालाब अतिक्रमित है जिसपर अंचलाधिकारी, जय नगर के समक्ष अतिक्रमण वाद संख्या- 01/2020-21 लंबित है, जिसका अबतक निष्पादन नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम जय नगर स्थित सार्वजनिक तालाब को अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

***456 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ अंचल के महल्ला- अलीनगर, वार्ड नं.- 46 स्थित कल्लू प्रसाद, पिता- राधे प्रसाद यादव के नाम से 13 डी. रैयती जमीन है, जिसका खाता नं.- 145, प्लॉट नं.- 1082, थाना नं.- 98 तथा अंचलाधिकारी, बिहार शरीफ के द्वारा तीन भाइयों के नाम से एल.सी.पी. निर्गत किया गया तथा राजस्व मालगुजारी रसीद 2019-2020 तक कटी है;

(ख) क्या यह सही है कि कल्लू प्रसाद एवं अन्य दो भाइयों को रैयती जमीन की जमाबंदी नालन्दा जिला अपर समाहर्ता द्वारा 16.10.2019 में रद्द कर दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नालन्दा के अपर समाहर्ता मो. नौशाद अहमद के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दाखिल-खारिज कबतक

***457 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखंड के ग्राम- मनोरह में तौजी सं.- 5225, थाना सं.- 57, प्लॉट नं.- 612 में 23 डि. जमीन है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रमिक खतियान में परमेश्वर गोप वल्द फकीरचन्द गोप के वंशज श्री रामकिशुन सिंह के नाम से 6 डि. जमीन को दाखिल-खारिज करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

योजना का लाभ

***458 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना

में 9 फसलों जैसे- ईख, गेहूं, मक्का, चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, प्याज एवं आलू को शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 20 प्रतिशत फसल क्षति पर 7500 (सात हजार पांच सौ) रुपये एवं 20 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 10,000 (दस हजार) रुपये अधिकतम 2 हेक्टेयर तक किसानों के लिए सहायता राशि देने का प्रावधान है;

(ग) अबतक वर्षवार कितने किसानों को उन्हें फसल क्षति की सहायता राशि दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को उनकी फसल की क्षति होने पर योजना का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

वेंडिंग जोन कबतक

***459 श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम बोर्ड और स्टैंडिंग कमिटी से पास होने के बावजूद वेंडिंग जोन बनाने का कार्य अधर में लटका हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि इसकी योजना तीन वर्ष पूर्व नहीं बनी थी;

(ग) क्या यह सही है कि कदमकुआं, हड़ताली मोड़, राजापुर पुल के पास सैकड़ों दुकानें सड़क पर खुली हुई हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विभाग कबतक वेंडिंग जोन का काम पूरा करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त

***460 श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् दो भागों में बंटा हुआ है, एक रेलवे लाइन से उत्तर एवं एक रेलवे लाइन से दक्षिण है;

(ख) क्या यह सही है कि रेलवे लाइन का उत्तर एरिया काफी अतिक्रमित है, बाजार के व्यापारी एवं खोंचा-ठेला बेचने वाले रोड को अतिक्रमित कर जाम कर देते हैं, जिससे आवागमन पूर्णतया बाधित हो जाता है, आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल को यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, ताकि आवागमन बाधित न हो सके ?

नाला का निर्माण

***461 श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखण्ड सुरसण्ड, सुरसण्ड चौक से ब्लॉक रोड में नाला का निर्माण नहीं होने से लोगों को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के प्रखण्ड सुरसण्ड, सुरसण्ड चौक से ब्लॉक रोड में नाला का निर्माण कराना चाहती है?

कानूनी कार्रवाई

***462 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत डगरूआ अंचल के दस्तावेज के अनुसार खाता सं.- 60, खेसरा- 222, 223 एवं 224 रकबा- 3.88 एकड़ जमीन का जमाबन्दी वर्ष 1962-63 से ही डॉ. रामेश्वर भगत, ग्राम+पो.+थाना- मुरलीगंज, जिला- सहरसा (मधेपुरा) के नाम पर संधारित है तथा उसका लगान रसीद वर्ष- 2014 तक कटता रहा था;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, डगरूआ के आदेश से उक्त वर्णित जमीन की जमाबन्दी श्री विन्दु मंडल के नाम से दिनांक- 26.11.2020 को कर दिया गया, जो पूर्व में उनके मां श्रीमती पंची देवी के नाम से खतियानी जमीन थी और वह वर्ष- 1962 में ही श्री मोहन भगत एवं डॉ. रामेश्वर भगत को बेच चुकी थी;

(ग) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित जमीन का वर्ष- 1967 से डॉ. रामेश्वर

भगत के नाम से जमाबंदी सं.- 60 संधारित है, के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर विन्दु मंडल के नाम से जमाबंदी कायम किया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर बदले गए जमाबन्दी को रद्द कर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

सड़क का नवनिर्माण

***463 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया नगर के वार्ड संख्या- 50 में जनकपुर महावीर मन्दिर से जनकपुर देवी स्थान होते हुए मानपुर तक जाने वाली सड़क का निर्माण 1980 में हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ के दोनों ओर डेढ़ कि.मी. की लम्बाई में लगभग 2,500 घर स्थित है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, नाली के जगह-जगह टूट जाने के कारण उसका पानी सड़क पर बहता रहता है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के नवनिर्माण के लिए गया नगर निगम द्वारा डेढ़ वर्ष पूर्व प्राक्कलन तैयार कर नगर विकास विभाग को भेजा जा चुका है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नवनिर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मुआवजा राशि का भुगतान

***464 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी प्रखण्ड के ग्राम- लदौत टोला बड़याड़ीसेर, थाना- बेनीपट्टी के सत्यम कुमार, पिता- श्री राजेश मुखिया की दिनांक- 13.01.2018 को नदी में डूबने से मृत्यु हो गयी है जिसकी बेनीपट्टी थाना में थाना कांड सं.- 04/2018, दिनांक- 13.01.2018 दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि उसके परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान अभीतक नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अंचलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन

*465 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत चक्की अंचल के खाता सं.- 5, 8 प्लॉट सं.- 1005 एवं प्लॉट सं.- 848, खाता सं.- 57 को अंचलाधिकारी की मिलीभगत से बेच दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है;

(ख) क्या यह सही है कि शशि भूषण पाण्डेय, मणिकान्त पाण्डेय, ग्राम- हेदापुर, पो.- परसिया, जिला- बक्सर ने मौखिक एवं लिखित रूप से बिना आपसी बंटवारा के पारिवारिक मतभेद के चलते जमीन बेचने से संबंधित सूचना अंचलाधिकारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारी को दिये थे;

(ग) क्या यह सही है कि सूचना देने के बावजूद भी खण्ड 'क' में वर्णित जमीन को बेच दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिना पारिवारिक सहमति के कोर्ट बंटवारा द्वारा बेचे गये जमीन को रद्द करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन न करने हेतु जिलाधिकारी, बक्सर को आदेश देने की कृपा करेंगे?

अतिक्रमण से मुक्त

*466 **श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिला अंतर्गत दरौंदा ब्लॉक भूमि एवं प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये की आय देने वाला सैरात भूमि व श्मशान भूमि में अतिक्रमण है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जांच सारण आयुक्त से वर्ष 2020 में

करायी गई एवं उक्त मामले को सही पाया गया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई;

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व मंत्री, बिहार सरकार ने भी उक्त स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु जुलाई, 2020 में विशेष सचिव को आदेश दिया परन्तु इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जीर्णोद्धार एवं अतिक्रमण से मुक्ति

*467 **श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड- खुशरूपुर के ग्राम- सफीपुर के थाना नं.- 141, प्लॉट नं.- 272 एवं प्लॉट नं.- 301 के सटे पूरब आम गैर मजरूआ जमीन पर पूर्व में दो तालाब निर्मित था, जिसे ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमित कर भर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि यह तालाब गड्ढानुमा होने के कारण आसपास के घरों का पानी इसी में गिरता था;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित प्लॉट नं. पर अवस्थित दोनों तालाबों का जीर्णोद्धार कराते हुए इसे अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?